

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 26.11.2023

हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद चाकू (आला कल्ल) बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा हत्या संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष चिलुआताल के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 661/23 धारा 302 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त सत्यनारायण गौड़ पुत्र जंगी गौड़ निवासी म0नं0 111 ब्लाक नं0 2 मानबेला आवास योजना थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से हत्या मे प्रयुक्त 01 अदद चाकू (आला कल्ल) बरामद कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोतरी की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सत्यनारायण गौड़ पुत्र जंगी गौड़ निवासी म0नं0 111 ब्लाक नं0 2 मानबेला आवास योजना थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 661/23 धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट(बढोतरी धारा) थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

01 अदद चाकू (आला कल्ल)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 शिवराज सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 प्रमोद कुमार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
4. हे0का0 अशोक कुमार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
5. का0 पवन यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर